

कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
ब्लाक-डी, भू-तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़

Phone No. 0771-2263708, Fax No.-2262558, www.tribal.cg.gov.in, Email- ctd.cg@nic.in,

क्रमांक / वि.वि.के. / 02 / 2025-26 / २५०६

नवा रायपुर, दिनांक १४ / ०२ / 2025

प्रति,

समस्त सहायक आयुक्त,

आदिवासी विकास,

जिला - (छ.ग.)

विषय :- शिक्षा सत्र 2025-26 में आर्यभट्ट विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण प्रोत्साहन योजनांतर्गत विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण केन्द्र, जिला दुर्ग/जगदलपुर में विद्यार्थियों के प्रवेश बाबत।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि वर्ष 2024-25 में कक्षा 12 वीं के बोर्ड परीक्षा परिणाम जारी किये जा चुके हैं तथा परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र (टी.एस.पी. एरिया) में निवासरत अनुसूचित जाति/जनजाति के ऐसे छात्र-छात्राओं के विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण केन्द्र कन्या जिला दुर्ग तथा बालक जिला जगदलपुर (बस्तर) में प्रवेश की कार्यवाही किया जाना है। प्रवेश हेतु नियमानुसार निर्धारित पात्रता निम्नानुसार है :-

1. प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में निवासरत कक्षा 12वीं उत्तीर्ण अनु.जनजाति एवं अनु.जाति वर्ग के विद्यार्थी जिन्होंने 12 वीं बोर्ड परीक्षा न्यूनतम 40% अंक से उत्तीर्ण की हो एवं विज्ञान एवं वाणिज्य विषय के साथ आगामी पढ़ाई के इच्छुक हों।
2. ऐसे इच्छुक विद्यार्थियों को विभाग के साथ अनुबंध पत्र हस्ताक्षर करना होगा कि विज्ञान एवं वाणिज्य विषयों के स्नातक/स्नातकोत्तर तथा बी.एड. की पढ़ाई के पश्चात् वे प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं देने के लिए सहमत हैं।
3. कंडिका एक व दो की पूर्ति करने वाले विद्यार्थियों में से बालक एवं बालिकाओं को क्रमशः बस्तर एवं दुर्ग जिला मुख्यालय पर संचालित विज्ञान वाणिज्य केन्द्र पर अस्थायी प्रवेश दिया जाएगा।
4. अस्थायी रूप से प्रवेशित समस्त विद्यार्थियों को वर्ष 2025-26 में स्वयं की रुचि से संबंधित जिला मुख्यालय अथवा आस-पास संचालित शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय / विश्वविद्यालय में संचालित विज्ञान/वाणिज्य विषय की स्नातक अथवा स्नातकोत्तर कक्षाओं में 15 दिवस के अंदर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। प्रवेश के दौरान सहयोग एवं मार्गदर्शन संस्था के प्रशासकीय अधिकारी/संबंधित सहायक आयुक्त द्वारा दिया जायेगा।
5. नियमित शिक्षण संस्थान में प्रवेश के बाद विद्यार्थियों को विज्ञान एवं वाणिज्य विकास केन्द्र में स्थायी प्रवेश दिया जायेगा। स्थाई प्रवेश के पश्चात् विद्यार्थी को योजना के तहत दी जाने वाली अन्य सुविधाओं की पात्रता होगी।
6. स्नातक स्तर पर एक वर्ष परीक्षा अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को पुनः शासकीय व्यय पर 01 वर्ष के लिये प्रवेश की पात्रता होगी। पुनः अनुत्तीर्ण होने पर आगामी 01 वर्ष तक विद्यार्थी को स्वयं के व्यय पर अध्ययन करना होगा। किसी भी स्थिति में स्नातक पाठ्यक्रम हेतु अधिकतम 04 वर्ष तक छात्रवृत्ति एवं अन्य सुविधाओं की पात्रता होगी।

7. प्रायः देखा गया है कि बस्तर एवं सरगुजा संभाग से योजना अंतर्गत छात्राओं का आवेदन पत्र अन्य जिलो के अनुपातिक रूप से कम प्राप्त होते हैं, फलस्वरूप अनुसूचित क्षेत्र होने के बावजूद भी असमानता की स्थिति निर्मित हो रही है। अतः संबंधित सहायक आयुक्त विशेष व्यक्तिगत प्रयास कर अधिक से अधिक छात्राओं को आवेदन करने हेतु प्रोत्साहित करें।

अतः वर्तमान शिक्षा सत्र में विभाग द्वारा संचालित संस्था विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण केन्द्र (कन्या) जिला दुर्ग एवं (बालक) जिला जगदलपुर में प्रवेश लेने हेतु इच्छुक पात्र विद्यार्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त कर सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला दुर्ग एवं बस्तर (जगदलपुर) को भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


(संजय गौड़)

प्र. आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर अटल नगर छ.ग.

नवा रायपुर, दिनांक 9/8/2025

पृ.क्रमांक/वि.वि.के./02/2025-26/2507
प्रतिलिपि,

1. प्रशासकीय अधिकारी, विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण केन्द्र, जिला दुर्ग एवं जगदलपुर (बस्तर) छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं लेख है कि प्रवेश पश्चात् संलग्न निर्धारित प्रपत्र में जानकारी भेजना सुनिश्चित करें।
2. श्री दिनेश ध्रुव, सहायक प्रोग्रामर, आ.जा. तथा अनु.जा. वि. मुख्यालय, नवा रायपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कर अवगत करावें।


प्र. आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर अटल नगर छ.ग.

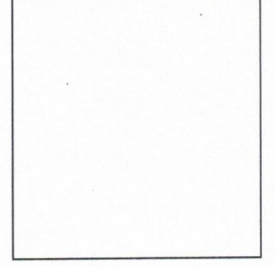
आर्यभट्ट विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण केन्द्र (कन्या छात्रावास), दुर्ग

सत्र: 2025-26

सेवा में,

प्रशासकीय अधिकारी

विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण केन्द्र दुर्ग (छ.ग.)



1. छात्रा का नाम
2. पिता का नामव्यवसाय.....वार्षिक आय (तहसीलदार).....
कार्यालय का पतापिता/पालक का मोबाईल नं.....
3. माता का नाम.....व्यवसाय.....वार्षिक आय (तहसीलदार).....
कार्यालय का पतामाता का मोबाईल नं.....
4. छात्रा की जन्मतिथि.....धर्म.....जाति.....उपजाति.....
5. स्थाई पता.....
जिला.....मोबाईल नं..... ,
6. प्रवेशस्तर (स्नातक).....
संकाय (जीवविज्ञान/गणित/वाणिज्य).....
7. 12वीं में अध्ययनरत् संस्था का नाम.....जिला.....
कक्षाप्रतिशत.....
8. वर्तमान में प्रवेश लिए गए महाविद्यालय का नाम.....
9. स्थानीय पालक का विवरण :
 1. नाम..... नाम..... नाम.....
 2. हस्ता. हस्ता..... हस्ता.....
 3. पता..... पता..... पता.....
 4. मो.न. मो.न. मो.न.

शिक्षक के रूप में सेवा देने हेतु अनुबंध पत्र

1. मैं घोषणा करती हूँ कि विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण केन्द्र, दुर्ग से स्नातक, बी.एड. तथा स्नाकोत्तर की पढ़ाई के पश्चात् प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएँ देने के लिये सहमत हूँ।
2. दी गई क्रमांक 1 से 8 तक की जानकारी सत्य है, असत्यता पाये जाने पर संस्था द्वारा लिया गया निर्णय मुझे मान्य होगा, मैं छात्रावास के सभी नियमों का पालन करने का वचन देती हूँ, मैं विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण केन्द्र दुर्ग में अध्ययन हेतु सहमत हूँ।
3. मेरे द्वारा सिर्फ अध्ययन हेतु ही मोबाईल फोन का उपयोग किया जायेगा।
4. मेरे द्वारा शिक्षक बनने के लिये आवश्यक परीक्षाएँ ही दी जायेंगी। अन्य परीक्षाओं में मैं शामिल नहीं होऊँगी।

आवेदक का नाम.....

हस्ताक्षर

पिता का नाम

हस्ताक्षर

दिनांक

प्रवेशत संबंधी समस्त प्रपत्र जाँच कर छात्रावास अधीक्षिका का अभिमत –

.....

छात्रावास अधीक्षिका का हस्ताक्षर व मुद्रा –

प्रवेश क्रमांक.....प्रवेश दिनांक.....

प्रशासकीय अधिकारी का हस्ताक्षर

जमा किए जाने वाले आवश्यक प्रमाणित प्रपत्र :-

1. जिले के सहायक अयुक्त का अग्रेषण पत्र।
2. स्थायी जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
3. हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी की अंकसूची की छायाप्रति।
4. निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
5. स्वास्थ्य प्रमाणपत्र की मूलप्रति।
6. प्रवेश के समय हिमोग्लोबिन, मलेरिया, टाइफाइड, पीलिया तथा अन्य संक्रामक रोगों की जाँच के प्रमाण पत्र (जिला चिकित्सालय से) जमा करना आवश्यक है।
7. एनीमिक सिकलीन तथा गम्भीर रोगों वाली छात्राएं आवेदन न करें।
8. वर्तमान सत्र का आय प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
9. स्थानांतरण प्रमाण पत्र।
10. आधारकार्ड की छायाप्रति।
11. बी.पी.एल. कार्ड की छायाप्रति, प्राथमिक क्रम में बी.पी.एल. आवेदन ए.पी.एल. के भी स्वीकार्य होंगे।
12. कॉलेज में प्रवेश के समय जमा की गयी फीस की रसीद की छायाप्रति।
13. छात्रावास में प्रवेश के समय छात्राओं को कोविड-19 टीकाकरण का प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा।

टीप – 1. सभी प्रपत्रों को उपरोक्तानुसार क्रम में नंबर डालकर अनिवार्यतः जमा करना सुनिश्चित करें।

2. छात्राओं को दुर्ग जिले के किसी भी एक शास.महाविद्यालय में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

3. विज्ञान एवम् वाणिज्य शिक्षण केन्द्र दुर्ग, केवल कन्या आवासीय परिसर है।

आर्यभट्ट विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण केन्द्र (कन्या), दुर्ग

शपथ पत्र 2025-26

मैं आत्मज श्री जाति
(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति)..... कक्षा जो कि विज्ञान एवं वाणिज्य
शिक्षण केन्द्र दुर्ग में निवासरत होकर अध्ययन करना चाहती हूँ। शपथ पूर्वक घोषणा करती हूँ कि :-

1. छात्रावास के समस्त नियमों का कड़ाई से पालन करूँगी।
2. छात्रावास के मेस में भोजन कक्ष में उपस्थित होकर भोजन करूँगी। पृथक से होटल अथवा खाना बनाकर भोजन नहीं करूँगी।
3. शासकीय संपत्ति की किसी प्रकार से अदला-बदली या नुकसान करने पर मुझे छात्रावास से निष्कासित किया जा सकेगा।
4. महाविद्यालय वार्षिक परीक्षा समाप्त होते ही दो दिन के भीतर संस्था छोड़ दूँगी। अन्य प्रतियोगी परीक्षा अथवा कॉचिंग हेतु विभागीय अनुमति के पश्चात् ही मुझे छात्रावास में रहने की पात्रता होगी।
5. अपने कक्ष में किसी भी प्रकार के मेहमान को रात्रि में विश्राम नहीं कराऊँगी। किसी भी की राजनैतिक गतिविधियों में भाग नहीं लूँगी।
6. संस्था में विद्युत उपकरण जैसे:- हीटर , इलेक्ट्रिक , प्रेस व अन्य उपकरण नहीं रखूँगी।
7. अधिकारियों कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करूँगी।
8. कार्यरत सभी कर्मचारियों का सम्मान करूँगी।
9. अपनी राशि एवं सामग्रियों की सुरक्षा स्वयं करूँगी।
10. मोबाइल का प्रयोग केवल अध्ययन हेतु करूँगी।
11. गलत दस्तावेज जमा करने की स्थिति में मैं और पालक स्वयं जिम्मेदार होंगे।
12. ब्लड ग्रुप, सिकलिंग, पीलिया, टी.बी. व अन्य गंभीर बिमारीयाँ होने का जिला चिकित्सालय द्वारा प्राप्त हेल्थ सर्टीफिकेट जमा करूँगी।

छात्रा

पालक

छात्रा के हस्ताक्षर
नाम
पता
मोबाइल नं.

पालक के हस्ताक्षर
नाम
पता
मोबाइल नं.

(कार्यालीन उपयोग हेतु)

उपरोक्त शर्तों के परिपालन के आधार पर कु. आत्मज श्री
कक्षा को अ.जा./अ.ज.जा. को 2025-26 के लिए प्रवेश की
अनुशंसा की जाती है।

अधीक्षिका
विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण केन्द्र, दुर्ग

आर्यभट्ट विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण केन्द्र (बालक छात्रावास), जगदलपुर
सत्र: 2025-26

सेवा में,
प्रशासकीय अधिकारी
विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण केन्द्र, जगदलपुर (छ.ग.)

1. छात्र का नाम
2. पिता का नाम व्यवसाय वार्षिक आय(तहसीलदार).....
कार्यालय का पता पिता/पालक का मोबाईल नं.
3. माता का नाम व्यवसाय वार्षिक आय(तहसीलदार).....
कार्यालय का पता माता/पालक का मोबाईल नं.
4. छात्र का जन्मतिथि धर्म जाति उपजाति
5. स्थाई पता
जिला मोबाईल नं.
6. प्रवेशस्तर (स्नातक)
संकाय (जीव विज्ञान/गणित/वाणिज्य)
7. 12 वीं में अध्ययनरत संस्था का नाम जिला
संकाय प्रतिशत
8. वर्तमान में प्रवेश लिए गए महाविद्यालय का नाम
9. स्थानीय पालक का विवरण :
 1. नाम नाम नाम
 2. हस्ता हस्ता हस्ता
 3. पता पता पता
 4. मो.नं. मो.नं. मो.नं.

आर्यभट्ट विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण केन्द्र (बालक छात्रावास), जगदलपुर
(शिक्षक के रूप में सेवा देने हेतु अनुबंध पत्र)

1. मैं घोषणा करता हूँ कि विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण केन्द्र, जगदलपुर से स्नातक, बी.एड तथा स्नातकोत्तर की पढ़ाई के पश्चात प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएँ देने के लिये सहमत हूँ।
2. दी गई क्र 1 से 8 तक की जानकारी सत्य है, असत्यता पाये जाने पर संस्था द्वारा लिया गया निर्णय मुझे मान्य होगा, मैं छात्रावास के सभी नियमों का पालन करने का वचन देता हूँ, मैं विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण केन्द्र, जगदलपुर में अध्ययन हेतु सहमत हूँ।
3. मेरे द्वारा सिर्फ अध्ययन हेतु ही मोबाईल फोन का उपयोग किया जायेगा।
4. मेरे द्वारा शिक्षक बनने के लिये आवश्यक परीक्षाएँ ही दी जायेगी। अन्य परीक्षाओं में मैं शामिल नहीं होऊँगा।

आवेदक का नाम

आवेदक का हस्ताक्षर

पिता का नाम

पिता का हस्ताक्षर

दिनांक

प्रवेश संबंधी समस्त प्रपत्र जाँच कर छात्रावास अधीक्षक का अभिमत —

अधीक्षक के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

प्रवेश क्रमांक प्रवेश दिनांक

प्रशासकीय अधिकारी का हस्ताक्षर

1. स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
2. हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी की अंकसूची की छायाप्रति।
3. निवास प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
4. स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
5. एनीमिक सिकलिन तथा गम्भीर रोगों वाले छात्र आवेदन न करें।
6. आय प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
7. आधार प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
8. कालेज में प्रवेश के समय जमा की गई फीस की रसीद।

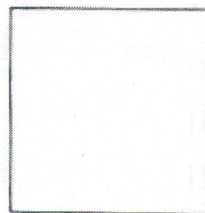
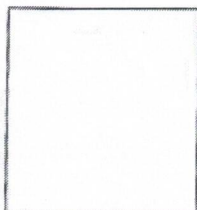
आर्यभट्ट विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण केन्द्र (बालक छात्रावास), जगदलपुर

शपथ पत्र: 2025-26

मैं आत्मज श्री जाति
(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) कक्षा जो कि विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण केन्द्र
जगदलपुर में निवासरत होकर अध्ययन करना चाहता हूँ।

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि :-

1. छात्रावास के समस्त नियमों का कड़ाई से पालन करूँगा।
2. छात्रावास के मेस में भोजन कक्ष में उपस्थित होकर भोजन करूँगा। पृथक से होटल अथवा खाना बनाकर भोजन नहीं करूँगा।
3. शासकीय सम्पत्ति की किसी प्रकार से अदला-बदली या नुकसान करने पर मुझे छात्रावास से निष्कासित किया जा सकेगा।
4. महाविद्यालय वार्षिक परीक्षा समाप्त होते ही दो दिन के भीतर संस्था छोड़ दूँगा। अन्य प्रतियोगी परीक्षा अथवा कोचिंग हेतु विभागीय अनुमति के पश्चात ही मुझे छात्रावास में रहने की पात्रता होगी।
5. अपने कक्ष में किसी भी प्रकार के मेहमान को रात्रि में विश्राम नहीं कराऊँगा। किसी भी की राजनैतिक गतिविधियों में भाग नहीं लूँगा।
6. संस्था में विद्युत उपकरण जैसे:- हीटर, इलेक्ट्रिक, प्रेस, व अन्य उपकरण नहीं रखूँगा।
7. अधिकारियों, कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करूँगा।
8. कार्यरत सभी कर्मचारियों का सम्मान करूँगा।
9. अपनी राशि एवं सामग्रियों की सुरक्षा स्वयं करूँगा।
10. मोबाईल का प्रयोग केवल अध्ययन के लिए करूँगा।
11. गलत दस्तावेज जमा करने की स्थिति में मैं और पालक स्वयं जिम्मेदार होंगे।
12. ब्लड ग्रुप, सिकलिंग, पीलिया, टी.बी. व अन्य गंभीर बीमारियाँ होने का जिला चिकित्सालय द्वारा प्राप्त हेल्थ सर्टीफिकेट जमा करूँगा।



छात्र के हस्ताक्षर
छात्र का नाम
पता
मोबाईल नम्बर

पिता/पालक के हस्ताक्षर
पिता/पालक का नाम
पता
मोबाईल नम्बर

(कार्यालीन उपयोग हेतु)

उपरोक्त शपथ-पत्र के परिपालन के आधार पर आत्मज श्री कक्षा
को अ.जा./अ.ज.जा. को वर्ष 2025-26 के लिए प्रवेश की अनुशंसा की जाती है।

अधीक्षक
विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण केन्द्र
जगदलपुर